923/2023

सोनू उर्फ खेमराज राठौर विरुद्ध श्रीमती शमा कुरैशी

17.10.2025

परिवादी द्वारा **श्री दिनेश सिंह तोमर** अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफतारी वारंट तामील/ अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

परिवादी अधिवक्ता ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा यह प्रकरण दिनांक **27.09.2022** को प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 08.04.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत किया गया है। प्रथम बार अभियुक्त **दिनांक 19.01.2024** को उपस्थित हुआ। दिनांक 09.04.2025 को आरोपी के अनुपस्थित हो जाने के कारण उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अभियुक्त को दिनांक **09.04.2025, 26.05.2025 तथा 14.07.2025** के आदेश के पालन में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ऐसी परिस्थितियों में यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त जानबूझकर तामीली से बच रहा है एवं कहीं फरार हो गया है तथा उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त **श्रीमती शमा कुरैशी पत्नी श्री इन्तेजार उर्फ बिन्नी हुसैन, उम्र– 38 वर्ष, व्यवसाय– गृहणी, निवासी– नूरगंज, सेवा नगर, पंचायती इमामबाड़ा, किला गेट रोड, ग्वालियर, म.प्र.** की उपस्थिति हेतु धारा 70 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुरूप स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी करना उचित प्रतीत होता है।

अभियुक्त को लाल स्याही से स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जावे। अभियुक्त का स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट तामीली हेतु पुलिस अधीक्षक

ग्वालियर के माध्यम से भेजा जावे तथा वारंट पर यह टीप अंकित की जावे कि सम्बंधित थाना प्रभारी वारंट के निष्पादन ना होने तक/अभियुक्त की उपस्थिति या गिरफतारी सुनिश्चित ना होने तक वारंट प्राप्ति दिनांक से प्रत्येक दो माह में वारंट निष्पादन/अभियुक्त की तलाशी की कार्यवाही कर उसका प्रतिवेदन न्यायालय में नियमित रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करवायें। स्थाई वारंट प्राप्त करने की टीप आदेश पत्रिका के दाहिने हासिए पर ली जाए।

प्रकरण के मृख्य पृष्ठ पर प्रकरण सुरक्षित रखने हेतु लाल स्याही से टीप लगाई जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर विधिवत नस्तीबद्ध किया जाकर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मानवेंद्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर म0प्र0

MANVENDRA SINGH YADAV

Digitally signed by MANVENDRA SINGH YADAV
Date: 2025.10.17 17:16:51 +0530